न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एलआर/5772/2005/उदयपुर

दिनेश पुत्र नारायणलाल जाति ब्राह्मण निवासी लोधाघाटी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   - 1/1. डालचंद पुत्र हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   - 1/2. फतहलाल पुत्र हीरालाल ब्राहमण – **मृतक (जरिये कायममुकाम)**
     - 1/2/1. राजकुमार पुत्र फतहलाल जाति ब्राहमण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
     - 1/2/2. श्रीमती तारादेवी पुत्री फतहलाल जाति ब्राहमण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
     - 1/2/3. श्रीमती ज्योतिदेवी पुत्री फतहलाल
     - 1/2/4. श्रीमती राधादेवी पत्नि फतहलाल

     –समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   - 1/3. राधाकिशन पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   - 1/4. मगनलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   - 1/5. मोतीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   - 1/6. मोहनशंकर (बाबूलाल) पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   - 1/7. श्रीमती मोहनीदेवी बेवा हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   - 1/8. हीरा पिता हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

..... प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सम्पत लाल बोहरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 16–07–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–9–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रत्यर्थी हीरालाल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 241 हाल खसरा संख्या 160 व 173 पर उनका कब्जाकाश्त चला आ रहा है। किन्तु आवंटन आदेश दिनांक 20–12–1978 के द्वारा उक्त आराजी में से खसरा संख्या 173 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थी के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से कर दिया गया। जिला कलक्टर ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनकर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आदेश दिनांक 18–5–2004 पारित किया। उक्त आदेश में उल्लेंखित किया गया कि अप्रार्थी को तहसीलदार नाथद्वारा दिनांक 20–12–1978 को ग्राम बिजनोल के खसरा संख्या 173 रकबा 2 बीघा बिलानाम भूमि का किया गया आवंटन विधि सम्मत नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत भूमि बिलानाम सरकार अंकित की जावे तथा प्रार्थी के अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। जिला कलक्टर राजसमन्द के आदेश दिनांक 18–4–2004 के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 06–9–2005 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि आलोच्य आवंटन के पश्चात करीब 25 वर्ष की एक लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त अप्रार्थी ने आवंटन निरस्ती हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह चलने योग्य नहीं है। आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी मंदिर मण्डल की सेवापूजा में सेवारत है, जो गलत है। क्योंकि अपीलार्थी मंदिर में स्थाई नौकरी नहीं करता है तथा मात्र पार्ट टाईम कार्य करता है। इस कार्य से उसके भूमिहीन कृषक की श्रेणी में कोई प्रभाव नहीं पडता है। जबकि उसका आय का मुख्य स्त्रोत कृषि ही है। अतः अपीलार्थी स्पष्ट रूप से भूमिहीन काश्तकार है। उनका तर्क है कि मामले में तहसीलदार द्वारा मौके की जो रिपोर्ट तैयार की है, वह एकपक्षीय बनाई गई है, जिसमें अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज नहीं थी। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी मौके पर आवंटन के लिए रिक्त थी। अन्त में उन्होंने अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 1994 एआईआर एससी पेज 1128, 1987 आरआरडी पेज 54, 2005 आरबीजे पेज 113 व 386, 2003 आरआरटी पेज 921, 2004 आरआरटी पेज 352, 2002 आरआरटी पेज 167 व 2002 आरआरटी पेज 376 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

5. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

6. प्रत्यर्थी हीरालाल ने जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष दिनांक 13-3-2003 को विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु निम्नानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियाः-

1. आवंटित किए गए रकबे पर सम्वत 2003 से ही प्रार्थी के पिता जगन्नाथ वल्द केवलराम एवं लक्ष्मण वल्द देवराम ब्राह्मण निवासी बिजनोल के नाम पर कब्जाकाश्त अंकित था। खसरा संख्या 241 के नये नम्बर 160 व 173 पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा सम्वत 2035 तक प्रार्थी के नाम पर ही पी–14 में उक्त भूमि अंकित की जा रही है।

2. उक्त भूमि में से खसरा संख्या 173 रकबा 2 बीघा विपक्षी दिनेश के नाम पर दिनांक 20–12–1978 को आवंटित की जाकर नामान्तरकरण संख्या 183 द्वारा गैरखातेदारी से दर्ज कर दी गई। परन्तु भूमि पर वर्तमान में भी प्रार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि अनाधिवासित भूमि नहीं थी। अतः प्रथम दृष्टया यह भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी, इस भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजों का सम्वत 2003 के पूर्व से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी इस भूमि के स्वामित्व का हक रखता है।

3. आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 बिजनोल का निवासी नहीं होकर नगर नाथद्वारा का निवासी है एवं अप्रार्थी का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं है, अतः आवंटी आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त आलोच्य आवंटन से पूर्व नियमानुसार उद्घोषणा नहीं की गई है। यहीं नहीं आवंटित रकबे का मौका पर्चा बनाकर भूमि को आवंटी को सुपुर्द नहीं किया गया है।

4. चूकि विवादग्रस्त भूमि का आवंटन कपट एवं मिथ्यापूर्ण तरीके से करवाया गया है, अतः प्रार्थना है कि आलोच्य आवंटन को निरस्त किया जाए।

7. उक्त प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर राजसमन्द के न्यायालय में दिनांक 13–3–2003 को दर्ज हुए तथा प्रार्थना पत्र का निर्णय आदेश दिनांक 18–5–2004 से किया गया। उक्त आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 20–12–1978 को प्रश्नगत भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त किया गया। उक्त आदेश में वर्णित किया गया कि राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत भूमि बिलानाम सरकार अंकित की जावे तथा प्रार्थी के अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील की, जिसके द्वारा अपील को खारिज कर जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 18–5–2004 को यथावत रखा गया।

8. सर्वप्रथम हम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) का उल्लेख करना उचित समझते है, जो निम्नानुसार है :-

> The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a sub-Divisional Office (or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules) either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been mede against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment. Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an oppotunity of being heard.

उक्त प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर को स्वविवेक से या किसी प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त करने की शक्तियां प्रदत्त है, यदि वह आवंटन कपटपूर्वक तथ्यों को छुपाकर तथा नियमों के विपरीत किया गया है। इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील का निस्तारण किया है अथवा नहीं, यह देखना ही द्वितीय अपील का मुख्य बिन्दु है।

9. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने जो कानूनी बिन्दु प्रस्तुत किए है, उनका पृथक-पृथक विवेचना करना आवश्यक हैः-

अ. अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी संख्या 173 पर अपीलान्ट का कब्जा होते हुए भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानकर जो आदेश दिया वह बिल्कुल गलत है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में अथवा मण्डल में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त हो। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन है कि आलोच्य आवंटन के पश्चात एक लम्बी अवधि अर्थात 25 वर्ष के पश्चात आवंटन निरस्तीकरण का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह संधारण योग्य नहीं है। प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि आवंटी मंदिर मण्डल में सेवा पूजा का नियमित रूप से कार्य करता है। जबकि जिस व्यक्ति की आजीविका कृषि कार्य पर निर्भर है, ऐसे व्यक्ति को ही आवंटन किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर मण्डल या अन्य किसी सेवा में है तो माना जायेगा कि उसकी आजीविका का साधन उक्त मंदिर मंडल या अन्य सेवा है और मंदिर मंडल में कार्यरत कर्मचारी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए उसे कृषक नहीं माना जा सकता है। अतः आवंटी ने

तथ्यों को छिपाया है। विभिन्न उच्चतरों न्यायालयों ने अपने महत्वूपर्ण निर्णयों को यह व्यवस्था दी है कि कपटपूर्ण अथवा मिथ्या वचनों के आधार पर किए गए आवंटन को किसी भी समय खारिज किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित किया है, उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत दृष्टान्तों के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से मेल नहीं खाने के कारण उनसे अपीलार्थी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी।

ब. अपीलार्थी का तर्क था कि साबिक आराजी नम्बर 241 के हाल खसरा संख्या 160 व 173 कायम किए गए है तथा खसरा संख्या 160 के कुछ भाग पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है व खसरा संख्या 173 पर अपीलान्ट का कब्जा है। यह स्थिति रेकार्ड से स्पष्ट होते हुए भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन बातों का ध्यान नहीं रखे बिना जो आदेश पारित किए है, वह गलत होकर काबिले अपास्त किए जाने योग्य है। रेकार्ड के अनुसार यह प्रतीत होता है कि धारा 91 की कार्यवाही करते हुए हीरालाल को कभी मौके से बेदखल किया गया हो। क्योंकि जब राजकीय भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तो ऐसी भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है, बशर्त कि ऐसे अतिक्रमी को विधिक रूप से बेदखल कर दिया गया हो, किन्तु अतिक्रमी को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। जहां तक भूमि आवंटन के लिए रिक्त होने का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि हीरालाल को कभी भी विधिक रूप से कार्यवाही कर बेदखल नहीं किया गया है, इस कारण आवंटित भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी।

10. द्वितीय अपील में यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि तो कारित नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नियम 14 (4) के प्रावधानों के अनुसरण में ही निर्णय पारित किए हैं। अपीलार्थी द्वारा स्वयं को भूमिहीन बताकर इस तथ्य को छिपाया गया है कि मंदिर में सेवा पूजा करने के कारण उसकी आजीविका मुख्य साधन कृषि नहीं था। इस प्रकार उनके द्वारा कपटपूर्वक तथ्य छिपाकर Fraud and Misrepresentation के आधार पर आवंटन करवाया जाना सिद्ध होता है। आवंटी मंदिर मंडल में नियमित सेवा–पूजा करने के कारण वह सद्भावी कृषक किस प्रकार हो सकता है, यह सोचनीय प्रश्न है। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि आवंटन के समय हीरालाल के कब्जे में थी तथा आवंटन के लिए रिक्त भूमि नहीं थी। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट से प्रकट नहीं कर छिपाया है। नियमों में भूमि आवंटन की वरीयता दी गई है। अनुसूचित जाति/जन जाति, गरीब कृषि मजदूर एवं अन्य जरूरतंद भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने का नियमों में प्रावधान है। नियमों के अनुसार गरीब, पिछड़ो को

भूमि का आवंटन नहीं कर मंदिर मण्डल में नियमित सेवा–पूजा से आजीविका कमाने के कारण आवंटी का कृषि पर निर्भर नहीं होना प्रकट होता है। नियमों की व्याख्या गरीबों के हितों की रक्षा करने की है न कि गलत व्याख्या करके अमीरों को लाभ पहुंचाने की है।

11. इस प्रकार कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों की परिधि में उक्त आलोच्य आवंटन निरस्त योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण विवेचना कर तथ्यों का परीक्षण कर निर्णय पारित किए है, जिनमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

12. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय को यथावत रखा जाना समीचीन है।

13. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर का निर्णय दिनांक 06–9–2005 तथा जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 18–5–2004 को यथावत रखा जाता है।

14. प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य